


# हिन्दी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय

सिन्धु - **हिन्दु** - हिन्दू - हिन्दी

सिन्धु + स्थान  $\Rightarrow$  **हिन्दुस्तान**

स-ह
त/थ-त
द/ध-द
प/फ-प


**विशेष-** हिन्दी शब्द फारसी / पारसी / ईरानी भाषा का शब्द है।




भाषा - भाष् (संस्कृत)  
 ↓  
प्रकट करना

भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष् धातु से हुई है जिसका अर्थ होता है, 'प्रकट करना' अर्थात् मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है, उसे भाषा कहते हैं।

## भाषा के माध्यम - तीन



## भाषा के कौशल - चार





हिन्दी भाषा दिवस - 14 सितम्बर

विशेष - संविधान के भाग-17 के अनु 343 से 351 में हिन्दी के राजभाषा होने से सम्बन्धित उल्लेख किया गया है।

अनुच्छेद 343(1) के अनुसार -

संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।

संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा।


संविधान की आठवीं अनुसूची में 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया जिसमें हिन्दी को भी स्थान दिया गया-

- (i) असमिया (ii) उड़िया (iii) उर्दू (iv) कन्नड़ (v) कश्मीरी (vi) गुजराती  
(vii) तमिल (viii) तेलगु (ix) पंजाबी (x) बाँग्ला (xi) मराठी  
(xii) मलयालम (xiii) संस्कृत (xiv) हिन्दी

११वें संविधान संशोधन, १९६७ के द्वारा (१५) सिंधी  
 ७१वें संविधान संशोधन, १९९२ के द्वारा (१६) नेपाली (१७) कोंकणी (१८) मणिपुरी  
 ९२वें संविधान संशोधन, २००३ के द्वारा (१९) डोगरी (२०) मैथिली  
 (२१) संथाली और (२२) बोडो को आर्यी अनुसूची में सम्मिलित  
 किया गया।


**विशेष-** वर्तमान समय में संविधान में १२ अनुसूची और २२ भाषाओं को  
 स्थान प्राप्त है।

डॉ. भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के सात भेद माने हैं-





## कुछ भाषाएँ एवं उनकी लिपियाँ -



**विशेष -** सभी भाषाएँ बाएँ से दाएँ की ओर लिखी जाती हैं केवल उर्दू (फ़ारसी) भाषा दाएँ से बाएँ की ओर लिखी जाती है।